Compliance Report on Business Reform Action Plan 2016: Bihar-Annexure-

Recommendation No.-189- Allow third party inspection of internal installations

(Ref: http://energy.bih.nic.in)



Designed and Developed by NIC Bihar State Centre, Govt. of India

Energy Dept., 8 Daroga Rai Path, Patna - 800 001.

Forms | Search Contacts | Tenders | BREDA Tenders | Useful Links ::

Site Index

- ✓ Home Page
- ✓ Overview
- Energy Sector
- Expanditurac
- Acts and Rules
- Notice Board
- Documents
- Allotments
- Circulars
- Notifications
- Proceedings
- Sanction Orders
- Transfer Orders
- ✓ Best Practices NEW.
- ✓ Scheme Info
- ✓ News Clippings
- ✓ Phone Directory
- ✓ Contact Details
- ✓ Your Feedback
- Asset Declaration

Total Hits: 240496





Bijendra Pd Yadav Hon'ble Minister

Key Contacts

- Bijendra Prasad Yadav, Hon'ble Minister.
 Tel: (0612)-2506224. Fax: (0612)-2506223.
- Sri Pratyaya Amrit, IAS, Principal Secretary.
 Tel: (0612)-2506210. Fax: 2506189. E-Mail: energy@bihar.gov.in
- Sri Vinodanand Jha, Deputy Secretary. Tel: (0612)-2506158.
- Sri Pratyaya Amrit, IAS, Chairman-cum-Managing Director,
 Bihar State Power Holding Company Ltd.
 Tel: (0612)-2504036. Fax: 2504968. E-Mail: chairmanbseb@yahoo.co.in
- Sri Manish Kumar Verma, IAS, Managing Director, Bihar State Power Generation Company Ltd.
 Tel: (0612)-2504695. E-Mail: md.bspqcl@qmail.com
- Sri Manish Kumar Verma, IAS, Managing Director,
 Bihar State Power Transmission Company Ltd. Tel: (0612)-2504442.
 Fax: 2504968. E-Mail: md.bsptcl1@gmail.com, itbsptcl@gmail.com
- Sri Sandeep K. R. P., IAS, Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Ltd.
 Tel: (0612)-2504045. E-Mail: md.sbpdcl@qmail.com
- Sri R. Lakshmanan, IAS, Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Ltd.
 Tel: (0612)-2504044. E-Mail: md.nbpdcl@gmail.com
- Sri S.K.R. Pudakalkatti, IAS, Managing Director,



Latest updates ...

- Advt: Nominations are being invited from eligible candidates for the post of Chairperson, BERC. - 24-08-2015.
- Order: Regarding creation of post of
 Energy Advisor to Chief Minister 05-06-

Wednesday 24 February 2016 | 4:12:39 PN

Downloads



Achievement Report for Financial Year 2011-12

Agriculture Road Map :: Energy ::

Renewable Energy Policy, 2011 - In English | Hindi

Dedicated Feeder (Agri Road Map) - English | Hindi

Application Format: Joining on Contract-basis.

Application Format: For Solar Pumps.


Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana



Information under RTI Page 1 of 1



Different Acts & Rules can be viewed by clicking on the links provided below:





The Bihar Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

(NO. PATNA 27)

20 PAUSH 1929(S) PATNA, FRIDAY, 10TH JANUARY 2008

BIHAR ELECTRICITY^[1] REGULATORY COMMISSION BIHAR ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2007

Notification No. 10 /2007

dated 31.12.2007

No. BERC/RegI-6/2006/529 — In exercise of power conferred by Section 181(1) and 181(2) read with Section 50 and 43 (1), Section 44, Section 46, Section 47 (4) Section 56 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all powers enabling it in this behalf and also in compliance of the Ministry of Power, Govt. of India's (i) notification no. SO 790(E) dated 8th June, 2005 issuing "Electricity (Removal of difficulties) Order, 2005" for "Inclusions of measures to control theft of electricity in Electricity Supply Code", and (ii) notification no. SO 798(E) dated 9th June, 2005 issuing Electricity (Removal of Difficulties) Eight Order, 2005 for obtaining supply of electricity at single point from the distribution licensee by the Cooperative Group Housing Societies or by any person for their members or employees residing in the same premises, the Bihar Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Electricity Supply Code to govern supply and retail sale of electricity by the licensees and procedure thereof, the powers, functions, and obligations of the licensees and the right and obligations of the consumers and matter connected therewith and incidental thereto.

^[1] Corrigendum vide Notification No. BERC-Regl-06/06-part-II/02/08 dt.24.04.08

CHAPTER NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	Damage to Equipment at Consumer's Premises	30
	Failure of Fuse / Supply	31
CHAPTER	WIRING AND APPARATUS IN CONSUMER PREMISES	
	Wiring at Consumer's Premises	31
	General Wiring Conditions	32
	Mains	32
	Switches and Fuses	32
	Balancing of Load	32
	Earthing	32
	Domestic Appliances	32
	Plugs	32
	Apparatus Interfering with Licensee's System	33
	A.C. Motor Installations	33
	Consumer's Apparatus	33
	Power Factor of Apparatus	33
	Welding Transformers	33
	Low Tension Shunt Capacitor	34
	High Tension Consumers	35
	Extra-High Tension Consumer	35
	HT/ EHT Consumers	35
	Inspection and Testing of Consumer's Installation	36
	Extensions and Alterations	36
	Access to Consumer's Premises	37
	Rating of Installations	38
	Parallel Operation with the Supply System of the Licensee	39
	• Harmonics	40
CHAPTER 7	SERVICE CONNECTION RELATED MATTERS	
	Contract Demand	40
	Procedure for Disconnection of Supply	41
	Temporary Disconnection	41
	Permanent Disconnection	43
	Procedure for Reconnection	43
	Change of Category	44
	Transfer of Connection and Mutation of Names	45

CHAPTER N	IO.	PARTICULARS	PAGE NO.
		Hearing & Final Assessment	74
		Appeal to Appellate Authority Against the Final Assessment Under	
		Section 127 of the Act	75
		• Default in payment of assessed amount or instalments thereof	76
		Theft of Electricity	76
		Section 135 of the Act as amended	76
		• Section 138 - Interference with meters or works of licensee	78
		Procedure to be adopted by licensee for Inspection, Provisional	
		Assessment, Hearing and Final assessment in case of theft of	
		electricity under section 135 of the Act	
		• Procedure	79
		Provisional Assessment and Notice to the Consumer	80
		Hearing & Final Assessment	81
		Compounding of Offence	81
		• Measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized	
		use of electricity or tampering, distress or damage to electrical	
		plant, electric lines or meter	82
		Voluntary declaration of tampered meters	84
		General	84
CHAPTER	12	MISCELLANEOUS	
		Force Majeure and Restrictions on Supply of Power	85
		Demand Side Management (DSM)	85
		Service of Notice	85
		Jurisdiction of Court	86
		• Repeal	86
		Power to Remove Difficulties	86
		• Savings	86
ANNEXURE	1	APPLICATION FOR SUPPLY OF ELECTRICITY (LOW	
		TENSION SUPPLY)	88
ANNEXURE	2	APPLICATION FOR SUPPLY OF ELECTRICITY AT HIGH	
		TENSION	91
ANNEXURE	3	(TEST REPORT (To be filled up by Licensed Electrical Contractor)	95
ANNEXURE	4	DETERMINATION OF CONNECTED LOAD	99
ANNEXURE	4A	SELF DECLARATION OF CONNECTED LOAD	101

- treated as a contravention of the terms and conditions of supply agreement and the supply shall be liable to be disconnected after due notice. The consumer shall however be liable to pay the charges, as applicable.
- 5.7 The licensee is responsible for maintaining the meters and equipments, installed at consumer's premises from where electricity is supplied to the consumer.

Failure of Fuse / Supply:

In the event of failure of the licensee's service fuse, at any time, complaint thereof should be lodged by the consumer to the licensee's local office/call center and the Licensee shall ensure registration of complaints on round the clock basis. Only authorized employees possessing the photo-identity card of the licensee shall be permitted to replace these fuses in the licensee's cut-outs. Consumers are not allowed to replace these fuses. The licensee should not allow its employees to carry out any repairs in the consumer's installations.

CHAPTER 6

WIRING AND APPARATUS IN CONSUMER PREMISES

Wiring at Consumer's Premises

- Electrical Contractor and should conform to the Indian Electricity Rules, 1956 until rules/regulation are framed under section 53 of the Act as well as the rules of the Fire Insurance Company in terms of which the building is insured. The materials used for wiring shall conform to the relevant specifications of the Bureau of Indian Standards or its equivalent. Wherever applicable the materials used shall bear ISI or IEC mark. As soon as the consumer's installation is completed in all respects and tested by the consumer's contractor, the consumer should submit, the contractor's test report to the licensee. The test report form (Annexure-3) for this purpose shall be submitted to the local office of the licensee.
- As required by rule 45 of the Indian Electricity Rules, 1956, no electrical installation work, including addition, alteration, repair and adjustment to existing installation except the replacement of lamps, fans, fuses, switches and other component parts of the installations which in no way alter the capacity or character of the installation, shall be carried out in the premises on behalf of any consumer or owner for the purpose of supply of energy to such consumer or owner, except by an electrical contractor licensed by the State Government in this behalf and under the direct supervision of a person holding a certificate of competency or by a person holding a permit issued or recognized by the State Government.

Inspection and Testing of Consumer's Installation

- 6.24 Before any wiring or apparatus in the case of low-tension consumer, and any transformer, switchgear or other electrical equipment in the case of high-tension consumer is connected to the system, it shall be subject to inspection and approval of the licensee and no connection shall be made without the licensee's approval. In addition, all high-tension installations will have to be approved by the Electrical Inspector and all electrical installations in mines will have to be approved by the Inspector of Mines.
- 6.25 Upon receipt of the test report, the licensee will notify to the consumer the time and day when the licensee proposes to inspect and test the installation. The consumer shall ensure that the Licensed Electrical Contractor or his representative, technically qualified, employed by him is present at the time of inspection to furnish to the licensee any information concerning the installation required by him. The licensee shall provide a copy of the inspection report to the consumer and obtain the acknowledgement of the consumer.
- 6.26 Manufacturer's test certificate in respect of all H.T. apparatus shall be produced, if required, by the Licensee.
- 6.27 The licensee shall not connect the conductors and fittings at the consumer's premises with its works unless it is reasonably satisfied that the connection will not at the time of making connection cause a leakage from the installation or apparatus of a magnitude detrimental to safety. The value of the insulation resistance should be as provided in Rule 48 of I.E. Rules 1956.
- 6.28 If the consumer's installation is found to be not safe for connection, the licensee shall advise the consumer in writing specifying the defects to be rectified. On receipt of intimation of rectification of defects, the licensee shall retest the installation.
- 6.29 The licensee shall levy no charge for the first test. Subsequent tests, necessitated due to faults found at the initial test shall be charged for in accordance with the rates approved by the Commission. The licensee will not accept any responsibility with regard to the maintenance or testing of wiring on the consumer's premises.

Extensions and Alterations:

6.30 No electrical installation work, including additions, alterations, repairs and adjustments to existing installations, except such replacement of lamps, fans, fuses, switches, low voltage domestic appliances and fittings as in no way alters its capacity or character, shall be carried out upon the premises of or on behalf of any consumer, for the purpose of supply to such consumer except by an electrical

Annexure – 3

(See Clause 6.1)

Test Report

To be filled up by licensed Electrical Contractor

Book No	Form No
	To be filled up by the licensee
_	ed for providing electrical connection at the premises of Mr./Mrs./Ms
The name and addr	ess of the licensed electrical contractor is
	this report is
	To be filled up by the licensed electrical contractor
5. I hereby dec	lare that –
(a)	I have class license valid till
	The license number is
(b)	I have completed this work for Mr./Mrs./Ms.
	for his

Details of Job

SI No.	Item			220 / 23	30 Volts			440 / 40	00 Volts
		Red F	Phase	Green	Phase	Blue F	Phase	No	Total
		No.	Total	No.	Total	No.	Total		Watts
			Watts		Watts		Watts		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

(c)

(i) The particulars of the employees who executed the job are tabulated below.

	bolow.								
SI No.	Name of the Wireman / T	rainee	Design	ation			Perio	od	
						From		То	
	(ii) The wor	k was	carried	out	under	the	sup	ervision	of
								(Superv	isor

(ii)	The	work	was	carried	d or	ıt und	er t	he sup	pervisi	on of
									(Sup	pervisor
	Wirer	man) wł	nose cei	rtificate	numb	er is				
	He	is resp	onsible	for	work	carried	out	during	the	period
This i	nstallat	ion spec	cification	ns adhe	re to a	all the pr	ovisio	ns of Ind	ian Ele	ectricity
Rules	1956.									

(d)

- (a) The installed switches are of correct ratings: Yes / No
- (b) All the switches and wiring are permanent and of correct specifications

Yes / No

(c) All plugs are of three pin type and controlled by separate switches

Yes / No

- (d) All the Single Pole switches connected to the phase
- Yes / No
- (e) Required permanent mark is provided on the main switch board for Neutral point

 Yes / No
- (f) Arrangement for earthing is according to Rule 61 of Indian Electricity Rules, 1956 Yes / No
- (g) In case of three phase installation
 - (i) Danger board, fire extinguisher with buckets, shock chart and first aid kit have been provided for Yes / No

,	ian Electricity Rules, 1		Yes/ No
7 Test results			
		Date of testing	g
	Insulation to	Earth	Insulation between conductors
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
		<u>.</u>	
Earth Resistance		Date of testing	ig
Electrode No. 1		Electrode No	2
8 The date of reg (Electricity) is as follows:	istration according t	o form 'L' o	f Bihar Govt. Licensing Board
SI No			
Date		Cianatura - 4 H	ha Liaanaad Flaatviaal Cantus star
		Signature of the	he Licensed Electrical Contractor

Certificate from Supervisor wireman

It is hereby certified that the aforesaid v	work has been undertaken by
	who has a wireman permit number of
that is val	lid till
It is also certified that testing of the inst	tallation has been undertaken by
	who has a permit number of
that is val	lid till
Signature of the wireman	Signature of <i>Supervisor</i> , wireman Receipt
The test report form number	for the installation at the premises
	prepared by
has been received on	
	Signature of Officer in-charge
	Name
	Designation
	Date

Compliance Report on Business Reform Action Plan 2016: Bihar-Annexure-



Energy Dept., 8 Daroga Rai Path, Patna - 800 001.

NIC Bihar State Centre, Govt. of India

Forms | Search Contacts | Tenders | BREDA Tenders | Useful Links ::

Site Index

- Home Page
- Overview
- **Energy Sector**
- **Expenditures**
- **Acts and Rules**
- Notice Board
- **Documents**
- Allotments
- Circulana
- Notifications
- Proceedings
- Sanction Orders
- Transfer Orders
- Best Practices NEW
- Scheme Info
- **News Clippings**
- **Phone Directory**
- Contact Details
- Your Feedback
- Asset Declaration

Total Hits: 240496





Bijendra Pd Yadav Hon'ble Minister

Key Contacts

- Bijendra Prasad Yadav, Hon'ble Minister. Tel: (0612)-2506224. Fax: (0612)-2506223.
- Sri Pratyaya Amrit, IAS, Principal Secretary. Tel: (0612)-2506210. Fax: 2506189. E-Mail: energy@bihar.gov.in
- Sri Vinodanand Jha, Deputy Secretary. Tel: (0612)-2506158.
- · Sri Pratyaya Amrit, IAS, Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power Holding Company Ltd. Tel: (0612)-2504036. Fax: 2504968. E-Mail: chairmanbseb@yahoo.co.in
- Sri Manish Kumar Verma, IAS, Managing Director, Bihar State Power Generation Company Ltd. Tel: (0612)-2504695. E-Mail: md.bspqcl@gmail.com
- Sri Manish Kumar Verma, IAS, Managing Director, Bihar State Power Transmission Company Ltd. Tel: (0612)-2504442. Fax: 2504968. E-Mail: md.bsptcl1@gmail.com, itbsptcl@gmail.com
- Sri Sandeep K. R. P., IAS, Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Ltd. Tel: (0612)-2504045. E-Mail: md.sbpdcl@gmail.com
- Sri R. Lakshmanan, IAS, Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Ltd. Tel: (0612)-2504044. E-Mail: md.nbpdcl@qmail.com
- Sri S.K.R. Pudakalkatti, IAS, Managing Director.



Latest updates ...

- 1. Advt: Nominations are being invited from eligible candidates for the post of Chairperson, BERC. - 24-08-2015.
- 2. Order: Regarding creation of post of Enormy Advisor to Chief Minister - 05-06-

Wednesday 24 February 2016 | 4:12:39 PN



Downloads



Achievement Report for Financial Year 2011-12

Agriculture Road Map :: Energy ::

Renewable Energy Policy, 2011 - In English | Hindi

Dedicated Feeder (Agri Road Map) - English | Hindi

Application Format: Joining on Contract-basis.

Application Format: For Solar Pumps.

Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana



Notifications Page 1 of 3





Click on the Description to bring up complete document for viewing or local printing using Acrobat Reader. To render Hindi text correctly, you may need to download necessary Unicode Fonts font. Use the link given above to install required fonts.

1. 09-02-2 2. 08-09-2 3. 04-09-2 4. 18-08-2 5. 17-08-2 6. 30-06-2 7. 20-05-2 8. 08-04-2 9. 31-03-2 10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2 19. 31-01-2	115 अधिसूचना संख्या 11: बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग लिमिटेड) एवं उसके अनुषंगी कंपनियों में स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में. 315 अधिसूचना संख्या 10: श्री शक्ति कुमार नेगी (भा.प्र.से.), को अध्यक्ष बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्ति संबंध में. 316 अधिसूचना संख्या 08: श्री राजीव अमित, मुख्य अभियंता, (वाणिज्यक) साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीड्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सदस्य बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्ति के संबंध में. 316 अधिसूचना संख्या 07: बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं उसकी चार सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि (निदेशक अंशकालिक) के रूप में पदाधिकारियों को नामित करने के संबंध में. 316 अधिसूचना संख्या 06: श्री हेमंत कुमार विपाठी को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में. 317 अधिसूचना संख्या 05: जिला स्तरीय विदयुत समिति (District Electricity Committee) के गठन के संबंध में. 318 अधिसूचना संख्या 03: श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्सिमशन कं. लि. को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार खिड कम्पनी लि. का प्रबंध निदेशक नामित करने के संबंध में. 318 अधिसूचना संख्या 02: विदयुत करधा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. 318 अधिसूचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से सर्विधित. 318 अधिसूचना संख्या 24: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 319 अधिसूचना संख्या 23: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 310 अधिसूचना संख्या 22: श्री इंत्र अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 310 अधिसूचना संख्या 22: श्री इंत्र विने अधीनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोनताओं तथा फ्रेंचाइजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विदयुत भार के लितरण करने हेतु अधिकृत पदी सिहत करने से सम्बंधित.
3. 04-09-2 4. 18-08-2 5. 17-08-2 6. 30-06-2 7. 20-05-2 8. 08-04-2 9. 31-03-2 10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2	जियुंकित के संबंध में. अधिसूचना संख्या 10: श्री शक्ति कुमार नेगी (भ्रा.प्र.से.), को अध्यक्ष बिहार विदयुत विनियामक आयोग के पद पर नियुंकित संबंध में. अधिसूचना संख्या 10: श्री शक्ति कुमार नेगी (भ्रा.प्र.से.), को अध्यक्ष बिहार विदयुत विनियामक आयोग के पद पर नियुंकित के संबंध में. अधिसूचना संख्या 07: बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं उसकी चार सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि (निदेशक अंशकालिक) के रूप में पदाधिकारियों को नामित करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 06: श्री हेमंत कुमार विपाठी को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 05: जिला स्तरीय विदयुत समिति (District Electricity Committee) के गठन के संबंध में. अधिसूचना संख्या 03: श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्सिमेशन कं. लि. को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार खिड कम्पनी लिं. का प्रबंध निदेशक नामित करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 02: विदयुत करघा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. अधिसूचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित. अधिसूचना संख्या 21: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिति करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 23: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिति करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 23: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिति करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विदयुत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विदयुत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 20: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के केतर, सभी विदयुत अधिनियम करने के सम्बन्ध में. अधिसूचना संख्या 20: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रतेश ने के केतर, सभी केतर सभी के लिए अधिनयम के कि करने के अधीन पदाभिविय के के अधीन पदार्य का प्रयोग का प्रयोग, गया शहर
4. 18-08-2 5. 17-08-2 6. 30-06-2 7. 20-05-2 8. 08-04-2 9. 31-03-2 10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2	प्रांबंध में. अधिसूचना संख्या 08: श्री राजीव अमित, मुख्य अभियंता, (वाणिज्यिक) साउथ बिहार पाँवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सदस्य बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्ति के संबंध में. अधिसूचना संख्या 07: बिहार सरकार के प्रतिनिधि (निदेशक अशानिक) के रूप में पदाधिकारियों को नामित करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 06: श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 05: जिला स्तरीय विदयुत समिति (District Electricity Committee) के गठन के संबंध में. अधिसूचना संख्या 05: जिला स्तरीय विदयुत समिति (District Electricity Committee) के गठन के संबंध में. अधिसूचना संख्या 03: श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्सिमिशन कं. लि. को अपने कार्यों के अधिसूचना संख्या 02: विदयुत करचा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. अधिसूचना संख्या 02: विदयुत करचा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. अधिसूचना संख्या 02: विदयुत करचा ईकाइयों से संवंधित समिति का गठन. अधिसूचना संख्या 25: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 24: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विदयुत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विदयुत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विदयुत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 22: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन पदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंक्चाईजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंक्चाईजी के के भीतर, सभी विदयुत आर के लिर अभिनयन संख्या 19: विदयुत अधिनयम 2003 की धारा 156 के प्रयोजनार्थ गया शहर के अधीन सभी विदयुत आर के लिए अभिनयां संख्या 19: विदयुत अधिनयम 2003 की धारा 156 के प्रयोजनार्थ गया शहर के के अधीन सभी विदयुत अधिनयम 2003 की धारा 156 के प्रयोजनार्थ गया शहर के के अधीन सभी विदयुत अधिनयम वितर पर के अधीन सभी विदयुत अधिनयम 2003 की धारा 156 के
5. 17-08-2 6. 30-06-2 7. 20-05-2 8. 08-04-2 9. 31-03-2 10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2	पटना की सदस्य बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्ति के सबंध में. अधिसूचना संख्या 07: बिहार स्टेट पाँचर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं उसकी चार सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि (निदेशक अंशकालिक) के रूप में पदाधिकारियों को नामित करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 06: श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 05: जिला स्तरीय विदयुत समिति (District Electricity Committee) के गठन के संबंध में. अधिसूचना संख्या 03: श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्सिगिशन कं. लि. को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार ग्रिड कम्पनी लिं. का प्रबंध निदेशक नामित करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 02: विद्युत करघा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. अधिसूचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित. अधिसूचना संख्या 25: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 24: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 23: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 22: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहत करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 21: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंचाइजी में विभिन्च वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए अभिन्या संख्या 19: विदयुत अधिनयम 2003 की धारा 156 के प्रयोजनार्य गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी के लिए अभिनयां में सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 19: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 156 के प्रयोजनार्य गया शहर के के मेतर सभी के लिए अधिनियम के सिरा अधिन्या संख्या के अधीतर सभी कोटिर के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंचाईजी के ने भीतर सभी कोटिर के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंचाईजी के के भीतर सभी क
6. 30-06-2 7. 20-05-2 8. 08-04-2 9. 31-03-2 10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2	वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि (निदेशक अंशकालिक) के रूप में पदाधिकारियों को नामित करने के संबंध में. 315 अधिसूचना संख्या 06: श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में. 315 अधिसूचना संख्या 05: जिला स्तरीय विद्युत समिति (District Electricity Committee) के गठन के संबंध में. 316 अधिसूचना संख्या 03: श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्सिमशन कं. लि. को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार खिड़ कम्पनी लि. का प्रबंध निदेशक नामित करने के संबंध में. 315 अधिसूचना संख्या 02: विद्युत करघा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. 316 अधिसूचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित. 314 अधिसूचना संख्या 25: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 24: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 23: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 22: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदाश कित्यों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्याईजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्याईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिकरने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिनयम संख्या 19: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाईजी के लिए अधिनयम के लिए अधिनयम संख्या 19: विद्युत अधिनयम विद्युत अधिनयम के विद्युत अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने से सम्बंधित.
7. 20-05-2 8. 08-04-2 9. 31-03-2 10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2	315 अधिसूचना संख्या 05: जिला स्तरीय विदयुत समिति (District Electricity Committee) के गठन के संबंध में. 316 अधिसूचना संख्या 03: श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कं. लि. को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार ग्रिड कम्पनी लि. का प्रबंध निदेशक नामित करने के संबंध में. 315 अधिसूचना संख्या 02: विदयुत करघा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. 316 अधिसूचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित. 316 अधिसूचना संख्या 25: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 317 अधिसूचना संख्या 24: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 318 अधिसूचना संख्या 23: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 317 अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विदयुत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. 318 अधिसूचना संख्या 21: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्याईजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्याईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विदयुत भार के लिए अधिसूचना संख्या 20: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनियम 2003 की धारा 136(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदंश भित्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्याईजी में विभिन्त प्रतिकित करने से सम्बंधित. 319 अधिसूचना संख्या 19: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 136(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के निवारण के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्याईजी में विभिन्त वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत अधीन के लिए अधीन प्रतं शिवर के अधीन सभी विद्युत अधीन सभी विद्युत भार के लिए करने हेतु अधीकत पर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच होता विद्युत विद्युत अधीनियम के भीतर के लिए अधीन प्रतं विद्युत
8. 08-04-2 9. 31-03-2 10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2	315 अधिसूचना संख्या 03: श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्सिमिशन कं. लि. को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार छिड़ कम्पनी लि. का प्रबंध निदेशक नामित करने के संबंध में. 315 अधिसूचना संख्या 02: विद्युत करघा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. 315 अधिसूचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, मचिव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित. 314 अधिसूचना संख्या 25: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 24: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 23: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. 315 अधिसूचना संख्या 21: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंन्चाईजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए 315 अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदा शक्तित करने से सम्बंधित. 315 अधिसूचना संख्या 19: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदा शक्तित करने से सम्बंधित.
9. 31-03-2 10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2	अित्रिंक्त बिहार ग्रिड कम्पनी लिं. का प्रबंध निदेशक नामित करने के संबंध में. अधिसूचना संख्या 02: विद्युत करघा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन. अधिसूचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, सिचव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित. अधिसूचना संख्या 25: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभितित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 24: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभितित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 23: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभितित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 23: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभितित करने से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. अधिसूचना संख्या 21: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्चाइजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए अधिक्तियान संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभितित करने के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभितित करने के
10. 03-03-2 11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2	318 सुचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित. 314 अधिसूचना संख्या 25: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभित्तित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 24: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभित्तित करने से सम्बंधित. 316 अधिसूचना संख्या 23: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभित्तित करने से सम्बंधित. 317 अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. 318 अधिसूचना संख्या 21: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्चाइजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए अधिमृचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाभित्तित करने से सम्बंधित. 318 अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंन्चाईजी को विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेत् अधिकृत पदाधिकारी पदाभित्रित करने वे
11. 25-11-2 12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2	प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित. 314 अधिसूचना संख्या 25: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 24: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 23: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. 315 अधिसूचना संख्या 21: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिकरने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में. 314 अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिधारण पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 19: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्याईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने वे
12. 25-11-2 13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2	314 अधिसूचना संख्या 24: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 23: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 21: विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए अधिमूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के मीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के मीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्याईजी के विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विदयुत आर के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के
13. 25-11-2 14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2	पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 23: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारीयों को पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 21: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंच्चाईजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंच्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लि करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में. 314 अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 19: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के
14. 31-10-2 15. 30-09-2 16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2	पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 21: विद्युत अधिनयम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेन्चाइंजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाइंजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लि करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में. 314 अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनयम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 19: विद्युत अधिनयम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनयम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने वे
 30-09-2 30-09-2 30-09-2 30-09-2 26-02-2 	314 अधिसूचना संख्या 21: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लि करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में. 314 अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 19: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने वे
16. 30-09-2 17. 30-09-2 18. 26-02-2	भ्रेन्चाईँजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लि करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में. 314 318 सुचन संख्या 20: विद्युत अधिनयम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाभिहित करने से सम्बंधित. 314 318 सूचन संख्या 19: विद्युत अधिनयम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनयम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के
17. 30-09-2 18. 26-02-2	अभिनिर्धारण पदाभिहित करेंने से सम्बंधित. 314 अधिसूचना संख्या 19: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्तं शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेत् अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के
18. 26-02-2	धारा 135(2) के अधीन प्रदत्तें शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेन्चाईजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेत् अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के
19. 31-01-2	314 अधिसूचना संख्या 09: बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता (विद्युत) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं04/2011) के आधार पर आयोग के पत्रांक-167, दिनांक-23.09.13 द्वारा अनुशंसित अभ्यथियों को सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में.
	314 अधिसूचना संख्या 04: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, मुजफ्फरपुर शहर के फ्रेन्चाइंजी क्षेत्र में सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित कर के सम्बन्ध में.
20. 31-01-2	314 अधिसूचना संख्या 03: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग, मुज़फ्फरपुर शहर के फ़ेन्चाईजी क्षेत्र में सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा सर्विद्युत भार के लिए करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में.
21. 31-01-2	
22. 23-10-2	713 जापांक-5017: विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड का कम्पनी एक्ट, 1956 के अनुस पुनर्गठित पांच कम्पनियों के अंशधारकों को नामित करने के सम्बन्ध में.
23. 03-10-2)13 अधिसूचना संख्या 27: सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-12/प॰ (मु॰को॰) ४०२३/11-सा॰प्र॰-15183 दिनाक- 18.09.2013 द्वारा BAS के पदाधिकारियों का पदस्थापन.
24. 10-08-2	313 अधिसूचना संख्या 24: श्री प्रकाश कुमार सिंह, मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावै.), ऊर्जा विभाग, बिहार,पटना को अगत आदेश तक अतिरिक्त प्रभार देने के सम्बन्ध में.
25. 31-07-2	313 अधिसूचना संख्या 23: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की पांच उत्तराधिकारी कंपनियों के निदेशक मंडल की संरचना की स्वकृति संबंध में.
26. 08-07-2	

बिहार सरकार ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

TO-276/ETO ATO

दिनांक- 88.7.13

भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 45 के अंतर्गत विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस देने / विद्युत पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण पत्र और तारकर्मियों / वायरमैन को परिमट मंजूर करने हेतु लाईसेंसिंग बोर्ड के गठन की विमागीय अधिसूचना सं0— 17 दिनांक— 19.09.1998 एवं अधिसूचना सं0— 05 दिनांक— 12.03.2004 को वर्तमान समग्र में निरस्त किया जाता है एवं विद्युत अधिनियम 2003 के घारा 177 के उपघारा (2 बीठ) तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम 2010 (विद्युत सुबक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम 29 के आलोक में लाईसेंसिंग बोर्ड का गठन किया जाता है ।

नवगठित लाईसेंसिंग बोर्ड में निम्नलिखित पदेन सदस्य होगे -

1.	जिलाधिकारी		
2.	संबंधित distribution company के कार्यपालक		अध्यक्ष
	अभियंता	-	सदस्य
3.	मुख्य विद्युत अभियंता द्वारा नामित कार्यपालक		
	अभियंता / सहायक विद्युत अभियंता		सदस्य
4.	जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत उप-समाहर्ता स्तर के		
	पदाधिकारी	_	सचिव सह सदस्य
		_	والمعتمين المراوا والمراوا

- 2. उपस्थित चार सदस्यों में से एक सदस्य किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक अवश्य हो ।
- पूर्ण बोर्ड कोरम 3 (तीन) सदस्यों का माना जायेगा ।
- 4. बोर्ड के कृत्य :- बोर्ड के निम्न कृत्य होगे :-
 - (i) विद्युत ठीकेदार को लाईसेंस देना ।
- (ii) विद्युत पर्यक्रेक्षक और तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) के लिए परीक्षाओं का संचालन
- (iii) विद्युत पर्यवेक्षक को क्षमता प्रमाण पत्र और तारमिस्त्रीयों को वायरमैन का

MUCENTAL

- (iv) इन शर्तों के अधीन दिये गये समता प्रमाण पत्र, परिमट या लाईसेंस प्राप्त करने वाले विद्युत पर्यवेक्षक, तारिमस्त्री (वायरमैन) या ठीकेदार को शर्तों के उल्लंघन अथवा कदाचार के आरोपों की जॉच कर दोषी पाये जाने पर यथावत कार्रवाई कर उन्हें दिये गये क्षमता प्रमाण-पत्र, परिमट या लाईसेंस को रह करना ।
- 5. बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेश, नियमों विनियमों के अनुसार जिलान्तर्गत किसी भी केन्द्र में परीक्षा और जॉच लेने के प्रयोजनार्थ परीक्षकों को मनोनीत करना तथा इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वित करना, विद्युत ठीकेदारों के लाईसेंस स्वीकृति, नवीकरण की प्रक्रियाओं का नीति निर्धारण करना।
- 6. <u>बोर्ड की बैठक</u> :- बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होना आवश्यक होगा ।
- 7. <u>बैठक का समापित</u> अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई सदस्य बैठक का समापित होगा ।
- अध्यक्ष का कर्तव्य :- अध्यक्ष के निम्न कर्त्तव्य होगे :- .
- (i) बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना जब तक की युक्तिसंगत परिस्थितियों एवं कारणों के आधार पर ऐसा करने से रोका न जाय ।
- (ii) बोर्ड की ओर से बोर्ड द्वारा जारी किए गए अथवा बैठक में निर्णय के आञार पर विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस और पर्यवेक्षक तथा तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) को प्रमाण पत्र और परिमट मंजूर करना तथा उन्हें. निर्गत करने का आदेश देना ।

सचिव के कर्त्तव्य :--

- (i) विद्युत ठीकेदार लाईसेंस के सभी आवेदन पत्रों परिनिशिक्षण करना और उन्हें अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित करना तथा उनके सबंध में पत्राचार करना और अनुमोदनोपरान्त लाईसेंस निर्गत करना ।
- (ii) पर्यवेक्षकों और तारकर्नियों (वायरमैन) की परीक्षाओं में प्रवेशनार्थ दिये गये आवेदन पत्रों को परिनिरीक्षण करना और उनके संबंध में पत्राचार करना तथा सभी नियमों को अनुपालन कराने में अध्यक्ष की सहायता करना ।
- (iii) ठीकेदारों को लाईसेंस और पर्यवेक्षकों तथा तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) के प्रमाण पत्रों और परिमटों को नवीकरण करना ।
- (iv) बिहार स्टेट (पावर) होल्डिंग कंग लिए सहित सभी संबंधित विद्युत आपूर्ति प्राधिकारों को दिये गये और रद्द किये गये सभी लाईसेंसों के विषय में सूचना निर्गत करना ।

10. परीक्षा (पर्यवेक्षक एवं तारकर्मियों की) :--

- (i) परीक्षा सिर्फ मौखिक ली जायेगी । इस परीक्षा में पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण पत्र तथा तारमिस्त्रीयों को वायरमैन परिमट प्रदान किये जायेगे ।
- (ii) मौखिक परीक्षा में व्यवहारिक ज्ञान की भी परीक्षा ली जायेगी जिससे उनके विद्युत संबंधी कार्य की कार्य कुशलता एवं क्षमता के ज्ञान की जानकारी हो सके।
- 11. बोर्ड के द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षकों के क्षमता प्रमाण पत्र तथा तारिमस्त्रीयों के परिमेट हेतु मौखिक परीक्षा के स्थानों और तिथियों की सूचना लाईसेंसिंग बोर्ड के सचिव के द्वारा प्रत्येक उम्मीदवारों को कम से कम 21 दिन पहले पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा ।

12. पर्यवेक्षक के परीक्षा में प्रवेश की शर्ते :--

- (i) विद्युत अमियंत्रण के उम्मीदवारों को कार्यानुमव की आवश्यकता नहीं होगी ।
- (ii) विद्युत डिप्लोमाधारी को कम से कम दो वर्षों का विद्युत कार्य में कार्यानुमव आवश्यक होगा ।
- (iii) . दो वर्षीय ईलेक्ट्रिशियन / वायरमैन ट्रेड (ITI) में उत्तीर्ण होने के बाद 4 (चार) वर्षों का विद्युत संयंत्रों का रखं-रखाव का अधिष्ठापन में व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा ।
- (iv) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें 06 (छ) वर्षों का विद्युत संयंत्रों के रख-रखाव, अधिष्ठापन का ज्ञान होना आवश्यक होगा ।
- (v) विहित प्रपंत्र में जम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा:—
 - (क) सचरित्रता प्रमाण-पत्र किसी उत्तरदायीं व्यक्ति को जो पांच वर्षों से जानता हो ।
 - (ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति ।
 - (ग) अनुभव प्रमाण-पत्र ।
 - (घ) दी गई फीस का प्रमाण-पत्र ।
- (इ) अभिप्रमाणित फोटों की तीन प्रतियां (संगीन पासपोर्ट / स्टाम्प साईज) संलग्नक कें रूप में देना आवश्यक होगा ।
 - (व) आवासीय प्रमाण पत्र ।

13. <u>तारमिस्त्री (वायरमैन) परमिट हेतु मौखिक परीक्षा और व्यावहारिक जांच के लिए</u> साक्षरता :--

(i) तारिमस्त्री हेतु आवेदक को विद्युत संबंधी कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा ।

- (ii) विहित प्रपत्र में जम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा :--
 - (क) सन्नित्रता प्रमाण-पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति को जो पांच वर्षों से जानता हो ।
 - शैक्षणिक योखना प्रमाण-पत्र की प्रति ।
 - (ग) अनुभव प्रमाण-पत्र
 - (घ) दी गई फ़ीस का प्रमाण-पत्र ।
- (इ) अभिप्रमाणित फोटों की तीन प्रतियां (रंगीन पासपोर्ट / स्टाम्प साईज) संलग्नक के रूप में देना आवश्यक होगा ।
 - (व) आवासीय प्रमाण पत्र
- 14. क्षमता प्रमाण पत्र अथवा परिनट हेतु सचिव कोई भी आवेदन पत्र जो विचार में त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरा पाया जायेगा उसे सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिसकी पावती रसीद नामांकन के साथ उम्मीदवारों को प्रेषित किया जायेगा ।
- 15.. जम्मीदवारों द्वारा जमा की गई फीस किसी भी हालत में लौटायी नहीं जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायेगी ।
- 16. जो आवेदक किसी अन्य राज्य से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सक्षमता प्रनाण पत्र प्राप्त कर चुकें है ये जारी विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ रू० 250.90 (दो सौ पद्मास रुपये) मुगतान कर के पारस्परिक आधार पर इस राज्य का पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें आवेदन पत्र के साथ संबंध राज्य का पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र भी भेजना होगा ।
- 17. पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र / वायरमैन परिमट खो जाने पर सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के सम्ब्र कारणों के साथ शपथ पत्र (एफिडिफिट) करना होगा तभी द्वितीयक बनाया जा सकेगा ।

18. पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र और परमिट को वापस लेना तथा निलंबन :--

इस नियमावली के अधीन किया गया हरेक पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र और प्रिमेट बाद उसे धारण करने वाला इस नियमावली के अधीन किसी अनाचार या कदाचार का दोषी पाया जाय तो उतना अविध के लिए वापस लिया या निलंबन किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड निर्णय करें।

19. विद्युत ठीकेदारों का लाईसेंस देना :--

- (i) विद्युत ठीकेदार को लाईसेंस हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन फीस के साथ देना होगा । ठीकेदार दो परिमट्धारी तारिमस्त्रीयों तथा एक प्रमाण पत्रधारी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा । उसे संबंधित जिला के सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर श्रापथ-पत्र भरना होगा ।
- (ii) विद्युत ठीकेदार के आवेदन पत्र पर विचार आवेदन पत्र के प्राप्त के एक माह के मीतर करना होगा और आवेदकों को एक लिखित रूप से कारण देते हुए स्वीकृत अथवा अस्वीकृति की सूचना सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्णय/आदेश के अनुसार देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत आवेदन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा और उसकी फीस नहीं लौटायीं जायेगी ।
- (iv) लगातार तीन वर्षों तक नवीकरण नहीं किए गए लाईसेंस बोर्ड की अनुमति से रह कर दिये जा सकेगे ।
- (v) ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र की क्षमता एवं कार्य उनके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण पत्र की सीमा के अंतर्गत होगा ।
- (vi) लाईसंस की द्वितीयक / प्रति बनाने के लिए मूल आवेदन (विहित प्रपत्र) में पूर्व के निर्गत लाईसंस में वर्णित तथ्यों को मरकर शपर्थ पत्र एवं एफ आई अ प्रति सहित अवश्यक शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होगा । तत्पश्चात् कार्यालय अभिलेख से मिलान कर वैध पाए जाने पर द्वितीयक प्रति निर्गत किया जा सकेगा ।
- (vii) विद्युत ठेकेदार का निर्गत लाईसेंस क्षतिग्रस्त (लाईसेंस की जीर्ण-शीर्ण स्थिति, फोटो अस्पष्ट एवं कटा-फटा तथा पानी में भीगने के बाद खराब हो जाने, पठनीय व अन्य) हो जाने पर लाईसेंस की क्षतिग्रस्त मूल प्रति, शपथ पत्र एवं आश्यक शुक्क आवेदन के साथ जमा करने पर जांचोपरान्त लाईसेंस का नया बुक जारी किया जा सकेगा ।

जदाहरण- यदि क्षमता प्रमाण पत्र मीडियम वोल्ट्रेज उपकरणों का होगा तो वह ठीकेंदार हाई वोल्ट्रेज अथवा एक्सट्रा हाई वोल्ट्रेज का कार्यों को हाथ नहीं ले संकेगा ।

(viii) ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र किसी फर्म अथवा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लिया जा सकेगा । व्यक्ति विशेष किसी फर्म या आवेदक के नाम पर अनुज्ञा-पत्र लेते हैं तो उन्हें पासपोर्ट साईज अथवा स्टाम्प साईज के तीन रंगीन फोटो विहित प्रपत्र के साथ राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित कर दिया जाना होगा । इसके साथ उनके पहचान हेतु दो संग्रान्त व्यक्तियों का परिचय भी देना होंगा ।

如果是我们的时间,我们就是我们一个有一个,我们就是我们的人,我们就是一个人的人,我们也是不是一个人的人,也是一个人的人的人,也是一个人的人的人,也是一个人的人的人,也是一个人的人的人,也是一个人的人

सबिव लाईसँसिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

20. प्रत्येक तीन वर्ष के अंत में लाईसेंस के नवीकरण की प्रक्रिया की जायेगी उसके एक माह पूर्व आवेदक आवेदन देगा जिसमें पिछलें तीन वर्षों में दिए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत होगा। जो ब्यौरा नहीं प्रस्तुत करेंगे उनके अनुज्ञा-पत्र का नवींकरण नहीं किया जा सकेगा। 21. यदि कोई लाईसेंस प्राप्त ठीकेदार जो स्वयं पर्यवेक्षक नहीं हो, एक मात्र अपने नियोजन में कम से कम एक पर्यवेक्षक को नहीं रखे तो उसका लाईसेंस अमान्य हो जायेगा और यदि लाईसेंस के इस प्रकार अमान्य हो जाने के एक महीने के मीतर लाईसेंसधारी पर्यवेक्षक संवानता प्रमाण-पत्रधारी किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करे, तो लाईसेंस स्वतः रह हुआ समझा जायेगा और लाईसेंसधारी लाईसेंस की रहगी के लिए बोर्ड के सचिव के पास लौटा देगा।

22. यदि कोई लाईसेंस प्राप्त ठीकेदार किन्ही अन्य एजेन्सियों के अधीन नियोंजन स्वीकार कर ले तो उसका लाईसेंस अमान्य हो जायेगा और ठीकेदार अपना लाईसेंस बोर्ड के सचिव के पास लौटा देगा ।

23. लाईसेंस प्राप्त ठीकेदारों के पर्यवेक्षकों और तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) का कदाचार :-

- (i) जहां विद्युत आपूर्ति प्राधिकार या उस व्यक्ति की राय में, जिसके लिए कोई विद्युत संस्थापन कार्य किया गया हो, कोई कार्य मारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अनुसार हो तो यह विषय बोर्ड के सिवव के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए मेज दिया जायेगा और उसके द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना संबंधित पक्षों को दे दी जायेगी।
- (ii) यदि छानबीन और जांच के बाद विद्युत तारमिस्त्री (वायरमैन) परिमेट या विद्युत पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण-पत्र धारक करने वाला कोई व्यक्ति अध्यवा कोई लाईसेंस प्राप्त विद्युत ठीकेदार बोर्ड द्वारा असावधानी, अक्षमता या इन शत्तों को मंग करने का दोषी पाया जाय तो लाईसेंसिंग बोर्ड ऐसे परिमेट, प्रमाण पत्र या लाईसेंसिंग को निलंबित या रह कर सकेगा।
- (iii) ऐसे हर मामलें में, जहां कथित अनाचार या इन शतों या किसी परिमेट, सक्षमता प्रमाण पत्र या लाईसेंस की शतों अतिलंघन का रिपोर्ट मिले तो बोर्ड पूरी जांच करेगा और कथित आरोधी को अपना बचाव करने का समुचित अक्सर देगा।
- 24. बोर्ड इन शत्तों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाण-पत्र या लाईसेंस की रदगी या निलंबन सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के द्वारा संसूचित की जायेगी ।

25. ऐसे सभी आवेदन - पत्र, जिन्हें पेश करना इन शतों के अधीन अपेक्षित हो, संबंधित जिले के जिलाधिकारी के सचिव के नाम दिये जायेगे ।

26. <u>फीस :-</u> लाईसँस प्राप्त पात्रों और परमिटों के लिए जाने तथा उनके मान्यकरण के लिए निम्नांकित फीस मुग्तान की जायेगी ।

		ठीकेदार लाईसेंस	पर्यवेदाक क्षमता	तारमिस्त्री प्रमिट
1	प्रारंभिक फीस		प्रमाण-पन्न	(वायश्मैन)
2	विहित समय के मीतर	₹0 250 /	₹6 100 /—	₹0 25/-
	मान्यकरण की फीस	₹0 75/-	₹0:25/-	₹0 10/-
3	दूसरी प्रति देना	₹0 250 /		
4	विहित समय के बाद	₹0 250 /—	₹0 100 /-	₹0 25/-
	मान्यकरण की फीस	200/	रु० 10 / — (दंड प्रतिमाह)	₹0 5/-
			₹0 100 /—	(दंड प्रतिमाह)
5	राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत		(अधिकतम)	रू० 25 / — (अधिकतम)
	प्रारंभिक आधार पर अन्य राज्य		₹0 50 /	(जायप्रताम)
	क समता प्रमाण पत्र के अञ्चल			
	पर आवेदन शुल्क			

टिप्पणी:— इस विनियम के अधीन भुगतान सभी फीस जिलाधिकारी के कार्यालय में चेक, बैंक ज्ञापट या मनीआर्डर द्वारा चुकाये जायेंगे।

27. परीक्षा के आवेदन पन्न और ठीकेदार लाईसेंस के फार्म संबंधित जिले के सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे।

ई/ग्रीऽ (संदीप पौण्डरीक) सचिव

कर्जा विमाग, बिहार, पटना ।

ज्ञामांक - प्र01 / क्षे०स्थां० - 34 / 01 (खंड) - 36 हुए पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं०लि०, पटना।

सभी जिलाधिकारी, बिहार। 2.

प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लिं0, पटना। 3.

प्रबंध निर्देशक, साउथ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि०, पटना।

मुख्य विद्युत अभियंता / मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विमाग, बिहार, पटना अनुसंघ है कि अधिसूचना के आलोक में लाइसेंसिंग बोर्ड के गठन हेतु

सदस्य अथवा सचिव-सह-सदस्य को नामित करने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

いかカソフ